

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक-29.4.2016

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिये कुल ₹ 19,56,76,000/- (उन्नीस करोड़ छप्पन लाख छिहत्तर हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिये कुल ₹ 19,56,76,000/- (उन्नीस करोड़ छप्पन लाख छिहत्तर हजार रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 2793 दिनांक 04.04.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
9. इसकी मांग संख्या-33 एवं विपत्र कोड संख्या N2053000940001 है।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
11. जिन पदों के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियमानुसार नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जायेगा।
12. मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।

13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

(दयानिधान पाण्डेय)  
सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक- 2016

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिये कुल ₹ 19,56,76,000/- (उन्नीस करोड़ छप्पन लाख छिहत्तर हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिये कुल ₹ 19,56,76,000/- (उन्नीस करोड़ छप्पन लाख छिहत्तर हजार रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 2793 दिनांक 04.04.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
9. इसकी मांग संख्या-33 एवं विपत्र कोड संख्या N2053000940001 है।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
11. जिन पदों के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियमानुसार नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जायेगा।
12. मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।

13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-


(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-5/बजट 1-05/2016 सा0-.....04..... /

पटना, दिनांक-29.4.2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापनाएं-0001-अनुमण्डलीय स्थापना)

आवंटन :-

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते
	कूट संख्या -	01 01	01 03	01 04	01 06	01 07	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पटना	92,00,000	97,00,000	1,00,000	1,00,000	7,000	1,91,07,000
2	भोजपुर	30,00,000	35,00,000	75,000	40,000	3,000	66,18,000
3	बक्सर	25,00,000	30,00,000	50,000	40,000	3,000	55,93,000
4	रोहतास	30,00,000	35,00,000	50,000	40,000	3,000	65,93,000
5	कैमूर(ममुआ)	30,00,000	20,00,000	50,000	40,000	3,000	50,93,000
6	नालन्दा	30,00,000	22,00,000	50,000	60,000	4,000	53,14,000
7	गया	30,00,000	22,00,000	50,000	60,000	7,000	53,17,000
8	नवादा	20,00,000	25,00,000	40,000	40,000	3,000	45,83,000
9	जहानाबाद	20,00,000	25,00,000	40,000	40,000	3,000	45,83,000
10	औरंगाबाद	20,00,000	25,00,000	40,000	40,000	3,000	45,83,000
11	अरवल	10,00,000	15,00,000	30,000	40,000	3,000	25,73,000
12	मुजफ्फरपुर	35,00,000	40,00,000	40,000	1,00,000	7,000	76,47,000
13	सीतामढ़ी	25,00,000	30,00,000	40,000	40,000	3,000	55,83,000
14	पूंचम्पारण	30,00,000	35,00,000	40,000	40,000	3,000	65,83,000
15	प०चम्पारण	30,00,000	35,00,000	40,000	40,000	3,000	65,83,000
16	शिवहर	10,00,000	15,00,000	30,000	30,000	3,000	25,63,000
17	वैशाली	25,00,000	30,00,000	40,000	40,000	3,000	55,83,000
18	दरभंगा	30,00,000	35,00,000	40,000	60,000	7,000	66,07,000
19	मधुबनी	30,00,000	35,00,000	40,000	40,000	3,000	65,83,000
20	समस्तीपुर	30,00,000	35,00,000	40,000	40,000	3,000	65,83,000
21	सारण	30,00,000	35,00,000	40,000	60,000	5,000	66,05,000
22	सिवान	15,00,000	20,00,000	30,000	40,000	3,000	35,73,000
23	गोपालगंज	20,00,000	25,00,000	40,000	40,000	3,000	45,83,000
24	भागलपुर	30,00,000	35,00,000	40,000	60,000	5,000	66,05,000
25	बांका	15,00,000	20,00,000	30,000	30,000	3,000	35,63,000
26	मुंगेर	20,00,000	25,00,000	30,000	60,000	5,000	45,95,000
27	लक्खीसराय	10,00,000	15,00,000	30,000	40,000	3,000	25,73,000
28	शेखपुरा	10,00,000	15,00,000	30,000	30,000	3,000	25,63,000
29	जमुई	10,00,000	15,00,000	30,000	30,000	3,000	25,63,000
30	खगड़िया	20,00,000	25,00,000	30,000	40,000	3,000	45,73,000
31	बेगूसराय	20,00,000	25,00,000	30,000	40,000	3,000	45,73,000
32	पूर्णियाँ	20,00,000	25,00,000	30,000	60,000	5,000	45,95,000
33	कटिहार	15,00,000	20,00,000	30,000	40,000	3,000	35,73,000
34	अररिया	10,00,000	15,00,000	30,000	40,000	3,000	25,73,000
35	किशनगंज	10,00,000	15,00,000	30,000	40,000	3,000	25,73,000
36	सहरसा	20,00,000	25,00,000	30,000	60,000	5,000	45,95,000
37	मधेपुरा	15,00,000	20,00,000	30,000	30,000	3,000	35,63,000
38	सुपौल	15,00,000	20,00,000	30,000	30,000	3,000	35,63,000
	कुल योग -	8,87,00,000	10,36,00,000	14,95,000	17,40,000	1,41,000	19,56,76,000

(उन्नीस करोड़ छप्पन लाख छिहत्तर हजार रुपये) मात्र

सरकार के अपर सचिव  
सामान्य प्रशासन विभाग